न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–77 / 2018 दायर दिनांकः 03.08.2018
GCMS NO:- 2018/00150
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रमेशचन्द आ0 माधोलाल जाति निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. नहनूराम आ0 रामनारायण जाति गुर्जर निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. कल्याण आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. कस्तूरा आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामस्वरूप आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामलाल आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. शोजी आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. रामेश्वर आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. रूपनारायण आ0 हरदेवा जाति मीणा निवासी शिवपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय एसबीआई शाखा देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. राजस्थांन सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 127 के खसरा संख्या 177 / 02–19, 179 / 00–15, 180 / 01–06 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की अपनी भूमि के खसरा में आने जाने का रास्ता ग्राम शिवपुरा की आबादी भूमि खसरा संख्या 190, 169 व 189 के बीच मेड पर होकर खसरा संख्या 177 पर पहुंचता है जो कदमी रास्ता है। जो 15 फिट चौडा था। परन्तु वर्तमान में रास्ते के सहारे पत्थरों की चीरे गाडकर लोहे के तार व जाली लगा देने से रास्ता सकरा हो गया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा परिशिष्ट ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक याचना स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में त[illegible] नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा भूमि ख़सरा संख्या 189 व 169 के मध्य मेड [illegible] गया है। खसरा संख्या 169 कल्याण,रूपनारायण,रामलाल,रामेश्वर,रामस्व[illegible]णा की खातेदारी में व खसरा संख्या 189 नहनूराम पुत्र रामनारायण गूजर की [illegible] 169 प्रार्थी के परिवार का खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

है जो आबादी भूमि के लगवा है। वर्तमान में आबादी से कुंए पर जाने हेतु 10–12 फिट चौडा रास्ता ख. सं. 169 के मेड पर मौजूद है। कुंए पर स्थित प्रत्येक खेत के लिए रास्ता दिया जाना असम्भव है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते मे खसरा संख्या 169 व खसरा संख्या 189 की कुल 6 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 12 वर्ग गठ्ठा उपयोग में आयेगी। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में डोटेड स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सहण में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ग्राम शिवपुरा पटवार मण्डल संहण तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खाता संख्या 127 के खसरा संख्या 177 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 169 व खसरा संख्या 189 की कुल 6 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 12 वर्ग गठ्ठा भूमि दोनों खसरो की मेर पर, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner